सेशन प्रकरण संख्याः– 49/2016 (पुराने नंबर 71/2016)
राज्य बनाम भागीरथ वगैरह
दिनांकः– 23.03.2026

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी	नीरज भामू
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नंबर	84/2016
नंबरी फौजदारी प्रकरण	सेशन प्रकरण संख्याः– 49/2016 (पुराने नंबर 71/2016)
सी.एन.आर. नंबर	RJBA010006382016
एफ.आई.आर. संख्या व पुलिस थाना	278/24.06.2015 पुलिस थाना, बालोतरा

राजस्थान राज्य बनाम भागीरथ वगैरह

अपराध अंतर्गत धारा 452/34,, 323/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता

परिवादी का नाम	अयुबखाँ
अधिवक्ता परिवादी/लोक अभियोजक	श्री माधोसिंह चारण, अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता श्री भगवतसिंह राठौड़
अभियुक्त का नाम व विवरण	1. भागीरथ पुत्र गजाराम, उम्र 45 साल, 2. श्रीराम पुत्र गजाराम, उम्र 41 साल, 3. बालूदेवी पत्नी गजाराम, उम्र 73 साल, सभी निवासीगण कितपाला, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा ।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री निर्मल खारवाल
एफआईआर की दिनांक	24.06.2015
चालान पेश करने की दिनांक	07.10.2016
आरोप लगाने की दिनांक	18.09.2018
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	28.09.2018 से 23.03.2026
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	23.03.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	23.03.2026
निर्णय दिनांक	23.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो तो	

अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण

पी.ड. 01	अयुबखाँ	परिवादी
पी.ड. 02	शंकरराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 03	खेताराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 04	मेवाराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 05	सुफीया	गवाह
पी.ड. 06	भावेश	गवाह
पी.ड. 07	रामेश्वर	गवाह

ब. बचाव पक्ष के साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीाक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण**
निल	निल	निल

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के दस्तावेती साक्ष्य की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी. 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी. 02	पुलिस बयान गवाह अयुबखाँ
3.	प्रदर्श पी. 03	पुलिस बयान गवाह शंकरराम
4.	प्रदर्श पी. 04	नक्शा मौका व हालात मौका
5.	प्रदर्श पी. 05	पुलिस बयान गवाह सुफीया
6.	प्रदर्श पी. 06 लगायत 12	घटनास्थल से संबंधित फोटोग्राफ्स
7.	प्रदर्श पी. 13	पुलिस बयान गवाह रामेश्वर

ब. बचाव पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

निर्णय

दिनांकः– 23.03.2026

1. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अयुबखाँ ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, बालोतरा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 24.06.2015 को करीबन 11 बजे वह अपने परिवार सहित अपने घर में बैठा था, तभी भागीरथराम, श्रीराम, शम्भूराम पिसरान गजाराम, बालूदेवी पत्नी गजाराम एकराय होकर योजनाबद्ध तरीके से हाथों में लाठियाँ व कुल्हाडियाँ लेकर उसके घर के अंदर अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उन पर जानलेवा हमला किया । भागीरथराम ने उसे जाने से मारने की नियत से उकसे सिर में कुल्हाड़ी का वार किया, शम्भूराम व बालूदेवी ने लाठी व थापों–मुक्कों से मारपीट की तथा श्रीराम ने उसके हाथ को दांतों से काट लिया । बीच–बचाव करने आई उसकी पत्नी सुफीया का शम्भूराम ने ओरणा खींचकर लज्जा भंग की । दौराने मारपीट सभी मुलजिमान ने उसकी जेब में से करीबन 700/– रुपये लूटकर ले लिये । उनकी रडे की आवाज सुनकर शंकर बचाव करने आया................इत्यादि । उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, बालोतरा में मुकदमा संख्या 278/2015 पंजीबद्ध किया जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण भागीरथ, श्रीराम व बालूदेवी को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 452, 323, 307/34 भारतीय दंड संहिता में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा के न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। जहाँ से प्रकरण उपार्पित होकर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा को प्राप्त हुआ। जहाँ से विधिनुकुल सुनवाई हेतु प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया है।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण भागीरथ, श्रीराम व बालूदेवी को धारा 452/34, 323/34 व 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है:–

5. गवाह/परिवादी पी.ड. 01 अयुबखाँ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.06.2015 को दिन के करीबन 11 बजे वह अपने परिवार सहित अपने घर पर उस रोज भागीरथराम और उसके परिवार वाले उनके घर के आगे से निकल रहे थे, तब उनके बीच बोलचाल हुई थी । इसके अलावा उन लोगों ने उनके साथ कुछ नहीं किया । विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई, जिसमें गवाह ने बताया कि रिपोर्ट में थाने वालों ने क्या लिखापढ़ी की, उसे पढ़कर नहीं सुनाई, उसने तो केवल मामलू बोलचाल बाबत् लिखाया था । उसके साथ मारकूट नहीं हुई थी, अजखुद कहा कि वह मोटर साईकिल से पिसलकर गिर गया था, जिससे उसके चोटे आई थी । इस सुझाव को सही बताया कि उसका भागीरथराम और उनके परिवार वालों से राजीनामा हो गया है । इस सुझाव को गलत बताया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो । इस सुझाव को गलत बताया कि मुलजिम भागीरथराम, बलूदेवी व श्रीराम ने एकराय होकर उसके घर में अनधिकृत प्रवेश कर उसके व उसके परिवार पर हमला किया हो ।

6. गवाहान पी.ड. 02 शंकरराम, पी.ड. 03 खेताराम, पी.ड. 04 मेवाराम, पी.ड. 05 सुफीया व पी.ड. 07 रामेश्वर ने भी पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी को ताईद नहीं किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा उक्त गवाहान से विस्तृत रूप से जिरह की गई, परंतु किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया ।

7. गवाह पी.ड. 06 भावेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.06.2015 को वह कीतपाल गया हुआ था, जहाँ पर अयुबखाँ मोयल मुसलमान के घर उसने फोटोग्राफी की थी, जो फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 06 लगायत 12 हैं, जिनकी पुश्त स्टूडिओ की सील लगी हुई है, जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स की नेगेटिव पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही वह साथ लेकर आया है । इस सुझाव को सही बताया कि उसका स्टूडिओ रजिस्टर्ड नहीं है ।

8. प्रकरण में परिवादी स्वयं अयुबखां व अन्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित होने पर अभियुक्तगण के अभिकथन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 255 (दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 232) के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने कथन किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं ।

9. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया।

10. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क रहे हैं कि प्रकरण में मुलजिमान द्वारा परिवादी से राजीनामा कर लेने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित परिवादी व अन्य गवाहान ने पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है । अपर लोक अभियोजन ने अन्य कोई तात्विक बहस नहीं की ।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से तर्क दिये हैं कि अभियोजन का कोई भी गवाह किसी भी अभियुक्तगण के विरुद्ध ऐसा कोई कथन नहीं करता है, जिससे कि अभियुक्तगण की इस अपराध में संलिप्तता या अपराध कारित करने के लिए इंगित करता हो। ऐसी परिस्थिति में जहां पर प्रकरण आक्षेप विहीन है, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

12. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 24.06.2016 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा ग्राम कितपाला में अपने साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सबके सामान्य उद्वेश्य की पूर्ति में परिवादी अयुबखाँ के साथ मारपीट करने की तैयार कर उसके घर में प्रवेश कर गृह–अतिचार किया तथा परिवादी अयुबखाँ के साथ कुंदाला से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा उसके सिर पर ऐसे आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोट मारी, जिससे यदि परिवादी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते ?

यदि हाँ, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या होगा ?

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार है:–

14. हाजा प्रकरण में अभियुक्तगण भागीरथ, श्रीराम व बालूदेवी को अपराध अंतर्गत धारा 452/34, 323/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता से विरचित किया गया है ।

15. प्रकरण हाजा न्यायालय के समक्ष परीक्षित परिवादी पी.ड. 01 अयुबखाँ ने पक्षद्रोही घोषित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भागीरथराम और उसके परिवार वाले उनके घर के आगे से निकल रहे थे, तब उनके साथ बोलचाल हुई थी । उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की और न ही उसे दांतों से काटा और न ही उससे कोई रुपये लिये । विशिष्ठ लोक अभियोजक की जिरह में भी गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसका भागीरथराम और उनके परिवार वालों से राजीनामा हो गया है । इस सुझाव को गलत बताया कि मुलजिम भागीरथराम, बलूदेवी व श्रीराम ने एकराय होकर उसके घर में अनधिकृत प्रवेश कर उसके व उसके परिवार पर हमला किया हो । गवाहान पी.ड. 02 शंकरराम, पी.ड. 03 खेताराम, पी.ड. 04 मेवाराम, पी.ड. 05 सुफीया व पी.ड. 07 रामेश्वर ने भी पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी को ताईद नहीं किया है । ऐसे में अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ, जिसने अभियुक्तगण का किसी भी अपराध में संलिप्त होना जाहिर किया हो। इसके अलावा अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप साबित करने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

16. अतः न्यायालय के समक्ष आई उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 24.06.2016 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा ग्राम कितपाला में अपने साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सबके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में परिवादी अयुबखाँ के साथ मारपीट करने की तैयार कर उसके घर में प्रवेश कर गृह–अतिचार किया हो तथा परिवादी अयुबखाँ के साथ कुंदाला से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की हो और उसके सिर पर ऐसे आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोट मारी, जिससे यदि परिवादी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते । इस प्रकार अभियुक्तगण भागीरथ, श्रीराम व बालूदेवी को अपराध अंतर्गत धारा

452/34, 323/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

17. अतः अभियुक्तगण (1) भागीरथ (2) श्रीराम व (3) बालूदेवी को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 452/34, 323/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण में जब्तसुदा माल, यदि कोई हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

(नीरज भामू)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

18. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया ।

MAHENDRA MEGHWAL
"Steno Gr. III" Authenticated Document
Digitally signed by MAHENDRA MEGHWAL
Location: Balotra
Date: 2026.03.25 10:46:43 +0530

(नीरज भामू)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा